

(लियम 26)

उप खण्ड अधिकारी
बड़ीसादड़ी (विचोदण्ड)

श्री लक्ष्मीबाई

सुरेण वगेरह

प्राचण्ड 128

101 / 2018

सन्

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

कार्यवाही मण इनिशियलस जज

5-18

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.
अनुच्छेद का वाद जांच पश हुआ, जिसे दर्ज
किया जावे। प्रार्थना पत्र का अवलोकन
गया एक पक्षीय वहस सूनी गई।
बड़ीसादड़ी को कमीशनर नियुक्त
जाकर आदेश दिया जाता है कि
मौजूदा

रणवती बाऊडा

की

81 रकबा 0.33 हेक्टर अकि की

विभिन्न आराजीयात की पत्थरगढी विपक्षीगणों
को मौजूदगी में की जावे।

प्रार्थी से कमीशनरी फिस रूपये 0.50L
वसूल किये जाकर राजकोष में जमा करावें।

पत्रावली में हुकमनामा जारी होकर
मौजूदा होकर नम्बर से कम हों।



उपखण्ड अधिकारी
बड़ीसादड़ी